

मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड,
भोपाल, मध्यप्रदेश

क०/म.प.हे.स.का.लि./2014/129
प्रति,

भोपाल दिनांक 06/12/2014

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
मध्यप्रदेश।

विषय:- मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी औषधियों की निविदा में प्राप्त इंजेक्शन पर 60 दिन उपरांत ही लेट सप्लाई पर कटोत्रा करने बाबत।

विषयांतर्गत लेख है कि मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा औषधियों की निविदा जारी की गई है। दर निर्धारण समिति द्वारा 4 औषधियों की दरें मान्य की गई हैं। अन्य औषधियों की दरें भी निर्धारित कर आपको अवगत करा दिया जावेगा। कार्पोरेशन द्वारा जारी औषधियों की निविदा में तकनीकी समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि समस्त इंजेक्शन पर 60 दिन उपरांत ही लेट सप्लाई पर कटोत्रा किया जावे।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्राप्त इंजेक्शन पर 60 दिन उपरांत ही लेट सप्लाई पर कटोत्रा किया जावे, 60 दिन पूर्व प्राप्त इंजेक्शन पर कोई कटोत्रा नहीं किया जावे।




महाप्रबंधक, उपाजन
मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ,
सर्विसेस कार्पोरेशन, लिमिटेड
भोपाल

भोपाल दिनांक 06/12/2014

क०/म.प.हे.स.का.लि./2014/130
प्रतिलेपि:- सूचनार्थ प्रेषित।

1. आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश।
4. अपर संचालक वित्त, स्थानीय कार्यालय, मध्यप्रदेश।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवार्य, मध्यप्रदेश।



महाप्रबंधक, उपाजन
मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ,
सर्विसेस कार्पोरेशन, लिमिटेड
भोपाल